जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच द्वारा जयपुर डिस्कॉम के पक्ष में फैसला एकल पीठ द्वारा मै0 ओम कन्सट्रक्सन कम्पनी के पक्ष के दिये गये निर्णय को भी किया खारिज

जयपुर, 20 सितम्बर। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच द्वारा मैसर्स ओम कन्सट्रक्सन कम्पनी द्वारा सिंगल बैंच में दायर याचिका को निरस्त करते हुए एकल पीठ द्वारा मैसर्स ओम कन्सट्रक्सन कम्पनी के पक्ष में दिये गए निर्णय को भी खारिज कर दिया गया है तथा निगम पर लगाये दो लाख रूपये की जुर्माना राशि को भी निरस्त कर दिया गया है।

जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य सी.एल. आर.सी. पर मैसर्स ओम कन्सट्रक्सन कम्पनी को दिया गया था। कम्पनी द्वारा कार्य को ठीक प्रकार से संपादित नहीं करने के कारण निगम के अभियंताओं द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से कार्यो को ठीक करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन कम्पनी द्वारा कार्यों को ठीक नहीं किया गया। कम्पनी द्वारा केवल अपने सुपरवाइजरों को बदल कर काम को ठीक किया हुआ बतलाकर ऑपचारिकता पूर्ण कर ली गई। कम्पनी द्वारा अधिकतर स्थानों पर केबल सही तरीके से उचित गहराई पर नहीं डाली गई एवं कुछ स्थानों पर केबल खुली छोड़ी गई जिससे आम जन को असुविधा होने के साथ ही जानमाल का खतरा भी बना रहा।

कम्पनी की इन कमियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शिकायत आने पर डिस्कॉम की क्वालिटी कन्ट्रोल व सेफ्टी विंग द्वारा की गई जांच में निगम के जांच अधिकारी को कार्यों में भारी अनियमितता पाये जाने के आधार पर कम्पनी को एक साल के लिए नवीन कार्यों हेतु डिबार कर दिया गया। निगम के इस निर्णय के विरूद्ध कम्पनी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ में दायर की गई याचिका के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कम्पनी के पक्ष में निर्णय देते हुए निगम पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया था।

जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी. गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच में याचिका दायर की गई, जिसमें निगम की याचिका को स्वीकार करते हुए डबल बैंच द्वारा एकल पीठ के निर्णय को खारिज करते हुए निगम पर लगाई गई जुर्माना राशि को भी निरस्त कर दिया गया है।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 826/2018